"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2008— माघ 12, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 10-01/2008/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प. ब.-एक, तारीख 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई "परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट) 1881" (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के विधान सभा क्षेत्र 63-केशकाल, जिला-बस्तर में विधान सभा उप चुनाव के सिलसिले में दिनांक 04 फरवरी, 2008 वार-सोमवार मतदान के लिए विधान सभा क्षेत्र 63-केशकाल, जिला-बस्तर के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 10-01/2008/1/5 राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ के विधान सभा क्षेत्र 63-केशकाल, जिला बस्तर में विधान सभा का उप चुनाव के सिलसिले में दिनांक 04 फरवरी, 2008 वार-सोमवार मतदान के लिए विधान सभा क्षेत्र 63-केशकाल, जिला-बस्तर के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

फा. क्र. 546/डी-152/21-ब/छ. ग./08.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रं. 105/गोपनीय/दो-2-101/2001, दिनांक 15-1-08 के अनुपालन में श्री राधेश्याम शर्मा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में रजिस्ट्रार (सर्तकता) उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रभारी सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

क्रमांक एफ. 1/666/भापुसे/2008.—श्री राजेंद्र नारायण दास, भापुसे, परि. को दिनांक 16-01-2008 से 02-02-2008 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 03 फरवरी 2008 का शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री राजेंद्र नारायण दास, भापुसे, परि. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री राजेंद्र नारायण दास, भापुसे, परि. पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेंद्र नारायण दास, भापुसे, परि. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2-45/2006/सात-1.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2005 तथा साक्षात्कार दिनांक 26-03-2007 से 28-04-2007 तक के परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा में नियुक्त के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा के वेतनमान रुपए 4500-127-7000 में नायब तहसीलदार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-5 में दर्शाये गये जिले में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री घनश्याम सिंह राठौर	4/4 ऋषभनगर, महावीर कालोनी के पास दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 491001.	जिला बस्तर
2.	02	कु. संगीता अग्रवाल	ग्राम नैला, थाना जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा मकान नंबर 101, सड़क मेनरोड नगर जांजगीर, छत्तीसगढ़.	जिला जांजगीर-चांपा
3.	03	कु. अवंती गुप्ता	श्री मधेश्वरप्रसाद गुप्ता, ग्राम पोस्ट तपकरा, थाना तपकरा, जिला जशपुर, छ. ग. पिनकोड 946 227.	जिला रायगढ़
4.	04	कु. सुमिता पाण्डे	द्वारा श्री गोपालकृष्ण पाण्डे, शिवमंदिर, वार्ड नंबर 03 जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ पिनकोड 494 001.	जिला बस्तर
5.	05	श्री विश्वास राव मस्के	एन. सी. सी. आफिस के पास नीता ड्राईक्लीनर्स के सामने भारतीय नगर, बिलासपुर, छ. ग. पिनकोड 495001.	जिला सरगुजा
6.	06	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	श्री धरमसिंह चौधरी, मस्जिद के सामने, बिलाईटांगर पत्थलगांव, थाना पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर नगर, छ. ग. पिनकोड 496118.	जिला कोरिया
7.	07	श्री गोपाल वर्मा	ग्राम-पोस्ट भैंसा, व्हाया हतबंद, थाना नेवरा-तिल्दा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	जिला दंतेवाड़ा
8.	08	श्री विजेन्द्र सिंह	द्वारा श्री एस. आर. धीरज, ग्राम पोस्ट धूमा, थाना तोखा, व्हाया बिलासपुर (आर. एस.) जिला - बिलासपुर, छ. ग. पिनकोड 495 004.	जिला दंतेवाड़ा
9.	09	श्री तुलाराम भारद्वाज	ग्राम बिर्रा थाना बम्हनीडीह जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़.	जिला नारायणपुर
10.	10	कु. ललिता भगत	ग्राम बालाछापर, पोस्ट इचकेला, थाना जशपुर जिला जशपुर, छत्तीसगढ़.	जिला सरगुजा
11.	11.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	मकान नंबर 16/1, व्ही. आई. पी. नगर, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़.	जिला बिलासपुर

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को जब प्रशासन अकादमी रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें.

3. परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और

प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथमबार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार को अपनी परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा. जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, कि सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो.

5. इन नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भरती नियम, 1980 के अंतर्गत शासित होगी.

6. उपर्युक्त पदाभिलाषियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपर्युक्त पदाभिलाषियों द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण नियमों एवं निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. बर्मन, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्रमांक /99/एफ 7-5/32/2008.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सूरजपुर निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :-

अनुसूची

सूरजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पतरापारा, पर्री, डुमरिया, नमदगिरी, सरस्वतीपुर, गिरवरगंज एवं नयनपुर की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नयनपुर, पचिरा एवं बेलटीकरी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बेलटीकरी, लांची, देवीपुर एवं पम्पापुर की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पम्पापुर, चन्द्रपुर एवं पतरापारा की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्रमांक /102/2951/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्रामपुर निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :-

अनुसूची

विश्रामपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गोरखनाथपुर एवं शिवनंदनपुर की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम जयनगर एवं शिवनंदनपुर की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम डेडरी, हर्रीटिकरी तथा जयनगर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम गोरखनाथपुर, केशवनगर तथा डेडरी की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्रमांक /105/184/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1395/281/32/2007 दिनांक 31-07-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर खास प. ह. नं.-106अ	907 का भाग	1560.0 वर्गमीटर	अमोद-प्रमोद (खेल मैदान/खेल परिसर)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (गांधी स्मृति भवन)

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर, दिनांक 8 जनवरी 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	अवरीद प. ह. नं. 3	0.81	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	जांजगीर-केरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2008

क्रमांक-246/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	मसनियाकला	0.109	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	गढ़गोढ़ी उपवितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	उदउदा प. ह. नं. 20	0.421	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	धरमजयगढ़-दुर्गापुर-बोरो मार्ग के कि. मी. 3/6 पर मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	दुर्गापुर प. ह. नं. 19	0.356	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	धरमजयगढ़-दुर्गापुर-बोरो मार्ग के कि. मी. 3/6 पर मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कुमरता प. ह. नं. 07	0.778	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	कापू-कुमरता-मैनपाट मार्ग पर सांगुल नाला पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्र./11357/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मनकी प. ह. नं. 23	0.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पर्रीनाला एनीकट निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्र./11358/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सुंदरा प. ह. नं. 23	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पार्रीनाला एनीकट निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्र./11359/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	ठाकुरटोला प. ह. नं. 24	0.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	ठाकुरटोला व्यपवर्तन के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक / 47/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुगलानी, प. ह. नं. 83
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
417	0.647
499	2.200
558/5	1.080
558/15	0.809
558/16	1.011
375/3	0.350
558/9	0.607
558/10	0.405
558/8	2.023
558/7	0.607
558/3	2.023
418/1	1.174
417	1.029
499	0.177
558/5	0.943
योग 15	15.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के डुबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक / 48/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालबहादुर नगर, प. ह. नं. 85
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.916 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
647/1	0.632
647/2	0.518
64/3	0.202
654	0.405
665	0.281
681/1	0.457
671	1.024
680/1	0.926
668/2	0.150
667	0.409
666	0.502
665	0.088
664/2	0.202
645	0.849
664/1	0.405
657	0.506
655	0.607
656/1	0.729
640	0.085
639	0.656
633/1	0.081
671	0.202
योग 22	9.916

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के डुबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 6 जनवरी 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धाटकवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
810	0.788
815	0.880
811	1.610
813	0.150
821	0.202
योग	3.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकरालोंहगा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं डूबान निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन. राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

रा. प्रक्र.-1 A-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मंगली प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22/7	1.214
22/8	1.214
22/9	0.858
22/10	0.263
22/13	0.473
1/43	2.023
1/41	2.023
1/42	2.023
1/4	2.023
1/49	2.023
1/13	1.450
1/11	0.697
1/14	0.093
1/15	2.023
1/9	2.023
1/21	1.214
1/24	1.214
1/18	1.012
1/23	0.607
1/39	1.012

(1)	(2)
1/38	0.810
1/7	0.373
22/1	0.227
21/2	0.048
21/5	0.289
105	0.283
119	0.093
101/3	0.142
103	
104	
108/2	
109	
38/2	0.121
120/2	0.141
121/2	
38/3	0.162
101/2	
102	
112	0.045
योग 32	28.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चतरी जलाशय निर्माण प्रयोजनार्थ डूबान क्षेत्र से प्रभावित हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्रक्र.-2 A-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चतरी, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.337 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/26	0.162
1/31 क	0.162
1/14	0.162
1/20	0.073
1/6	0.045
7/2 ख	0.219
7/5	0.081
8, 9, 10, 11, 12 एवं 13	0.280
15, 18/2	0.166
71	0.085
16/1, 17/4	0.559
45/2	0.097
45/3	0.065
73	0.012
66	0.093
70	0.032
69	0.012
74	0.032
योग 17	2.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चतरी जलाशय निर्माण प्रयोजनार्थ नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्र. क्र.-3 A-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/1	0.117
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उतंका जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्रकरण क्र.-4 A -82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
   (ख) तहसील-पंडरिया
   (ग) नगर/ग्राम-देवसरा, प. ह. नं. 04
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
299/3	0.263
292/1 ख	0.247
292/3	0.032
292/1 ग	0.028
235	0.061
234, 239/2	0.093
217	0.040
233	0.024
221	0.057
232	0.085
226	0.057
225	0.040
198/1	0.121
195	0.008
184/1 क	0.231
202	0.105
206/2	0.146
182	0.170
172	0.130
173	0.186
174	0.190
165	0.324
163	0.304
160	0.194
162	0.231
206/3	0.028
184	0.089
141	0.069
142	0.081
143	0.077
183	0.085
146	0.186
योग 32	3.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवसरा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्रकरण क्र.-5 A-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
   (ख) तहसील-पंडरिया
   (ग) नगर/ग्राम-लिम्हईपुर, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.798 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.227
6	0.194
9	0.348
8	0.093
10	0.077

(1)	(2)
15	0.049
16/1	0.032
16/2	0.016
38/1	0.117
38/2	0.113
42	0.206
47	0.073
151	0.040
48/1	0.040
48/2	0.045
51	0.093
57/1	0.089
57/2	0.089
57/3	0.085
158	0.316
155, 157	0.251
141/2, 156/1	0.105
150	0.073
141/3, 156/1	0.105
149/1	0.069
146	0.024
149/2	0.069
149/3	0.069
148/2	0.049
147	0.069
144/2	0.036
144/6	0.032
144/8	0.036
244/2, 245, 246	0.093
247/3	0.061
260/1	0.336
155, 157	0.138
61/3	0.227
140/1	0.053
278, 285	0.247
135	0.291
133/1	0.134
133/4 क	0.130
123/1	0.065
123/2	0.065
123/3	0.065
121	0.117
114/3	0.113
114/4	0.113
144/7	0.101
113	0.117
112/3	0.113
112/6	0.093
112/7	0.105
266/2, 267	0.117
279	0.478
योग 58	6.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेवमग जलाशय के नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्रकरण क्र.-6 A-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गौरकांपा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13/1	0.279
14	
105/1	0.105
105/3	0.093
106/2	
106/3	
104/1	0.097
95/1	0.146
102/1	0.077
103/1	
102/2	0.085
103/2	
95/4	0.008
101/1	0.105
90/1	0.012
89/1	0.162
90/2	

(1)	(2)
89/2	0.130
85/1	0.065
85/2	0.024
84/3 87/3 88/2	0.049
योग 15	1.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवसरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जनवरी 2008

प्रकरण क्र.-7 A -82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बदना, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.791 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
49/2	0.364
49/1	0.194
50/3	0.024
47	0.615
54/2, 54/3	0.113
98	0.065
145	0.478
146, 147	0.170
39/3	0.113
39/1	0.178
37	0.129
39/5	0.125
39/6	0.125
39/4	0.097
योग 14	2.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-कोआनार व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्श (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 जनवरी 2008

प्र. क्र.-15 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-भनसुला, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकवा (हेक्टेयर में) (2)
16	0.272
15/2	0.101
13/5	0.061
13/3	0.069
1/3 13/1 13/4	0.141
13/2 14/1	0.121
13/6 14/2	0.049
10	0.233
योग 8	1.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डूब ग्राम जुनवानी के पुनर्वास स्थल तक पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2008

क्रमांक 243/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	340/2	0.170
योग	01	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भेड़ापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2008

क्रमांक 244/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.294 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	470/2	0.202
	469/1	0.028
	524, 527 | 8	0.032
	524, 527 | 9	0.032
योग	04	0.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2008

क्रमांक 245/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1, 21/1	0.085
योग 01	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दर्रभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-चिरईपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.746 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144	0.089
147	0.409
152	0.306
168	0.417
178	0.138
180	0.061
181	0.125
183	0.429
185	0.410
196	0.036
201/1	0.025
151	0.073
179	0.141
153	0.243
154	0.057
176	0.097
198	0.174
166/1	0.683
175	0.014
177	0.133
186	0.101
194/1	0.097
197	0.391
150	0.097
योग 24	4.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले आवासीय क्षेत्र के पुनर्वास हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.847 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/3 91/4	0.769

(1)	(2)
697/2	0.202
698	0.085
92	0.223
108/1	0.061
595/3 क 594/2	0.445
94	0.162
677/4	0.202
95/2	0.154
678/1	0.049
678/2	0.016
116	0.673
115/2	0.081
115/3	0.081
150	0.040
110/1 ख	0.065
113/2	0.081
110/1 क	0.101
114/1	0.073
107/5	0.036
108/3	0.016
108/4	0.016
108/5	0.016
108/6	0.028
108/7	0.024
109/1	0.101
592/1	0.101
592/3	0.008
593/3	0.101
593/4	0.101
594/1 595/3 ख	0.008
595/3 क 594/2	0.214
586/1	0.260
583/1	1.275
584	1.486
684/1	0.101
682/2	0.113
539/1	0.024
684/2	0.150
539/7	0.124
693/3	0.162
683/3	0.101
693/4	0.226
683/4	0.093
112/1 क 2	0.295
112/1 ख	0.040
681 679	0.202
697/4	0.081
593/7	0.081
680	0.024
682/1	0.077
694	0.053
678/3	0.129
693/1	0.178
696	0.081
678/2 ख	0.065
697/3	0.085
665/4	0.008
योग	9.847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाखा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13/9	0.028
15/2	0.024
23	0.451
16/1	0.096
16/2	0.652

(1)	(2)
18/1	0.158
21/5	0.105
24	0.550
25/6	0.850
26	0.523
15/3	0.081
15/4	0.121
30/2	0.041
30/3	0.004
27	0.246
योग 15	3.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले मार्ग को परिवर्तित किये जाने हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाखा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/3	0.829
3	2.237
2	3.901
4/4	0.829
4/1	0.829
4/2	0.829
5	1.177
योग 7	10.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले आवासीय क्षेत्र के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दनौट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
139	0.536
140	0.802
141/1	0.454
141/2	0.458
योग 4	2.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले आवासीय क्षेत्र के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रानीसागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	248	0.138
	255/1 क	0.202
	255/1 ख	0.073
	257	0.559
योग	4	0.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मेसर्स रुकमणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड के इंडक्शन फर्नेस हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.603 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72/13	0.158
111/1	0.032
72/154	0.104
105/4	0.032
105/14	0.036
63/1	0.373
70/2	0.020
64/1	0.526
64/2, 65/2/3	0.157
114/2	0.262
72/173	0.012
72/204	0.218
72/131	0.016
72/6	0.082
72/210	0.342
64/1 65/1/2	0.049
72/193	0.008
86/2	0.154
112/2	0.121
108/2	0.114
73	0.020
72/165	0.198
72/142	0.370
105/6	0.068
120/19	0.032
72/149	0.024
118	0.012
120/13	0.538
72/206	0.024
72/208	0.016
72/176	0.008
72/177	0.016
72/205	0.174
72/207	0.210
63/2	0.101
109	0.142
113	0.121
70/3	0.008
114/1	0.222
112/1	0.242
63/3	0.057
120/21	0.117
105/5	0.165
120/8	0.114
72/8	0.012
72/203	0.032
72/20	0.109
64/2/4, 65/2/4	0.136
72/121	0.094
72/172	0.032
120/9	0.138
72/5	0.270

(1)	(2)
86/1	0.008
72/4	0.134
72/169	0.234
72/135	0.065
120/18	0.032
72/14	0.012
64/1 65/1	0.041
120/20	0.020
72/170	0.049
72/158	0.105
120/22	0.130
72/16	0.008
65/1	0.121
72/44	0.006
योग	7.603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटेलपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.705 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6/18	0.234
1/7	0.036
172/55	0.056
122/3	0.350
122/4	0.129
123/2	0.085
172/44	0.161
171/63	0.081
1/28	0.061
186/1	0.174
185/2	0.057
6/12	0.049
185/1	0.129
172/5/3 172/67	0.032
26/12	0.108
1/9	0.057
6/3	0.065
172/56	0.056
122/1	0.290
122/ङ	0.322
172/43	0.161
172/45	0.161
172/1	0.810
1/10	0.085
6/9	0.429
1/15	0.104
7/1	0.621
1/2	0.066
172/67 172/5	0.036
187	0.609
186/3	0.016
172/57	0.061
123/3	0.137
123/4	0.129
172/42	0.161
172/46	0.165
172/25	0.462
186/2	0.320
188	0.041
1/16	0.041
184	0.145
1/22	0.038
1/3	0.146
26/15	0.108
1/32	0.121
योग	7.705

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कुंजेडबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.950 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.421
285	0.057
250	0.089
235	0.359
251	0.024
योग	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बेलपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.524 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.234
12	0.202
27/1	2.079
148	1.941
47	0.246
145	0.142
149/4	0.032
5/2	0.053
5/5	0.162
5/7	0.041
143/6	0.020
143/8	0.057
6	0.032
11	0.020
42	0.627
50	0.486
48/2	0.012
149/3	0.004
149/7	0.061
5/6	0.150
5/3	0.270
13/1	0.024
143/5	0.004
13/2	0.202
48/1	0.239
49	0.626
44	0.053
46	0.004
149/5	0.020
7/1	0.125
5/1	0.065
5/8	0.226
13/3	0.024
143/7	0.041
योग	8.524

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.538 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.186
311	0.036
322/3	0.125
325/2	0.085
328	0.177
22/6	0.143
22/1	0.040
22/3	0.109
22/4	0.173
21/2	0.085
325/1	0.085
22/7	0.077
329/1	0.081
22/2	0.081
330	0.579
310/2	0.005
321/1	0.038
310/1	0.061
310/5	0.085
310/4	0.044
321/2	0.021
321/3	0.008
320	0.061
322/1	0.024
294	0.510
319/1	0.020
293/1	0.061
309/1	0.304
309/2	0.064
309/6	0.008
329/3	0.109
329/2	0.081
324	0.162
331	0.004
334/1	0.012
285	0.850
309/4	0.048
309/3	0.064
326	0.117
327	0.101
283	0.526
322/2	0.036
284/1	0.012
286/1	0.032
योग	5.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सांगीतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.796 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
104	0.049
82/1	0.920
102/1	0.065
15/1	0.121
87	0.036
91/6	0.170
95/1	0.024
19	0.550
10	0.004
11/1	0.081
66	0.081
26	0.097
7/5	0.047
5/2	0.081
8	0.085
2	0.181
7/11	0.072
25/2	0.071
84	0.101
15/3/4	0.222
95/3	0.294
105	0.024
28	0.065
88	0.020
91/5	0.214

(1)	(2)
22/1	0.623
9	0.008
1	0.028
3/2	0.032
7/1	0.103
25/1	0.071
85	0.004
15/2	0.266
83	0.332
94	0.016
95/2	0.069
86	0.854
11/3	0.118
6/4	0.141
24	0.145
7/2	0.105
5/1	0.089
4	0.117
योग	6.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.